पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !

punjab national bank ...the name you can BANK upon !

Head Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi - 110 075 (Email hosd@pnb.co.in)

NOTICE OF THE 19TH AGM OF THE BANK TO BE HELD THROUGH VC/OAVM

This has reference to our Newspaper Notice dated 09.07.2020 (published on 11.07.2020) regarding the 19th Annual General Meeting of the shareholders of PUNJAB NATIONAL BANK to be held on Tuesday, the 04th August, 2020 at 10.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in accordance with the relaxations accorded by MCA and SEBI in view of the continuing COVID-19 pandemic, without the physical presence of shareholders at a common venue. The deemed venue for the AGM shall be the Head Office of the Bank.

In accordance with the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and subsequent to the aforesaid relaxations, the Annual Report for FY 2019-20 containing the Notice of AGM has been sent to the shareholders (whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s)) only through electronic mode.

In compliance of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ["E-voting Rules"] read with the MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting / e-voting at the AGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The detailed Notice of the AGM is displayed on the website of the Bank i.e. **www.pnbindia.in**, on the websites of the Stock Exchanges i.e. **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** and on the website of NSDL i.e. **www.evoting.nsdl.com.**

Any person who acquires the shares of the Bank and becomes the shareholder of the Bank, after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date fixed as 28th July, 2020 should follow the procedure for voting by electronic means as mentioned in the Notice.

The Shareholders may follow the procedure for e-voting at the AGM as stipulated for remote e-voting in the Notice. Shareholders who have cast their vote on the Resolutions by remote e-Voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC/ OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again.

Shareholders are requested to refer the Notice of AGM for all other relevant information / procedures.

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

(Rajesh Verma)
Chief General Manager

Place: New Delhi
Date: 12.07.2020

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon !

प्रधान कार्यालयः प्लॉट सं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
(ईमेलः hosd@pnb.co.in)

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाने वाली बैंक की 19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

यह हमारे समाचार पत्र नोटिस दिनांक 09.07.2020 (दिनांक 11.07.2020 को प्रकाशित) के संदर्भ में है, जो पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की 19वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में है, जो वर्तमान कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए एमसीए (MCA) और सेबी (SEBI) द्वारा दी गई छूट के अनुसार सार्वजनिक स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 04 अगस्त, 2020 को सुबह 10.00 बजे (भारतीय मानक समय) आयोजित की जाएगी। एजीएम के लिए मान्य स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार और उक्तानुसार दी गई छूटों के पश्चात, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें एजीएम की सूचना है, को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, शेयरधारकों को (जिनकी ईमेल आईडी बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं) भेज दी गई है।

एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 44 तथा यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, ["ई-वोटिंग नियमावली"] के नियम 20 के अनुपालन में वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले कार्य के संबंध में, बैंक को अपने शेयरधारकों को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध करवाए गए ई-वोटिंग प्लेटफार्म द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (रिमोट ई वोटिंग/एजीएम् में ई-वोटिंग) अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्नता हो रही है।

एजीएम की विस्तृत सूचना बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.pnbindia.in** पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** तथा एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात् **www.evoting.nsdl.com** पर प्रदर्शित की गई है।

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम का नोटिस भेजने के बाद, बैंक के शेयरों का अधिग्रहण करता है और बैंक का शेयरधारक बन जाता है तथा 28 जुलाई, 2020 की नियत कट-ऑफ तारीख के अनुसार शेयरों को रखता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जैसा कि नोटिस में उल्लेख किया गया है।

शेयरधारक वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग के लिए उस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं जैसा कि नोटिस में दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए निर्धारित किया गया है। जिन शेयरधारकों ने एजीएम से पूर्व दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा संकल्प पर अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं परन्तु वे फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अन्य सभी संबंधित सूचनाओं/प्रक्रियाओं हेतु एजीएम के नोटिस का सन्दर्भ लें।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थानः नई दिल्ली **(राजेश वर्मा)**
दिनांकः 12.07.2020 **मुख्य महाप्रबंधक**